नागरिक नामा

आधार कार्ड

आधार कार्ड

आधार कार्ड क्या है ?

यह आपकी पहचान और पते का इकलौता सबूत है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है।

इस कार्ड में आपकी उंगलियों के निशान और आँखों की पुतलियों की खास छाप होती है जो आपकी पहचान के खास नमूने हैं।

दुनिया में आपकी उंगलियों और आंखों की छाप की तरह वाला कोई दूसरा इंनसान नहीं है। इसका मतलब यह कार्ड सिर्फ आपका ही है।

आधार कार्ड आपको एक अलहदा पहचान का नबर (U.I.D.) देता है जो सरकार को आपको पहचानने में मदद करता है।

हमें यह क्यों चाहिए ?

आधार नंबर एक व्यक्ति का अनोखा नंबर है जो देश में किसी अन्य व्यक्ति का नहीं है। इस तरह सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों की पहचान करने में सरकार को मदद मिलती है।

प्राथ: लोगों के पास पहचान के दस्तावेज नहीं होते।

आधार कार्ड, पूरे देश में आपकी पहचान के सबूत के तौर पर माने जाने वाला दस्तावेज है।

यह किसके लिए है ?

हर भारतीय नागरिक इसे प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि 1 साल से अधिक उम्र के बच्चे भी।

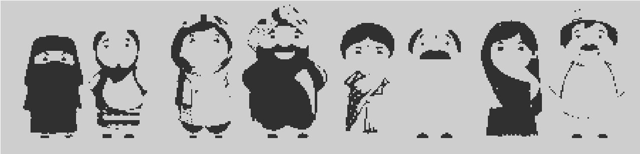

इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है ?

आधार कार्ड प्राप्त करना बिल्कुल मुफ्त है

कहाँ आवेदन करें ?

आधार कार्ड बनाने के लिए सरकार की ओर से समय-समय पर कैंप लगाए जाते हैं। निजामुद्दीन बस्ती में भी यह कैंप लगते रहते हैं।

कभी-कभी यह काम N.G.O. (गैरसरकारी) संस्थाएँ भी करती है।

आधार-कार्ड-सेंटर का पता

जीवन सेंटर
डिप्टी डायरेक्टर आफ एज्युकेशन का आफिस
सर्वोदय कन्या विद्यालयए
'C' ब्लाक डिफेंस कालोनी
दिल्ली – 110024
टेलीफोन: 011-8130939998

आप सीधे तौर पर आधार-कार्ड-सेंटर में भी जा सकते हैं। सबसे नजदीक ऐसा केंद्र डिफेंस कालोनी में स्थाई तौर पर काम करता है।

लाइन में लगने के इंतजार से बचने के लिए आप बेवसाइट http://appointments.uidi.gov.in पर जाकर समय ले सकते हैं।

आप सुविधानुसार समय तारीख और जगह का चुनाव कर सकते हैं।

निजामुद्दीन बस्ती के नजदीक दो सेंटर हैं –

(1) कालका जी (2) साकेत

SDM आफिस (डिफेंस कालोनी)
B.D.O. आफिस, अनुपम अपार्टमेंट के पास
M.B. रोड साकेत, नई दिल्ली – 110017
टेंलीफोन : 011-28536773, 011-26568772

कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए ?

* आवेदन फार्म
* पहचान का एक दस्तावेज
* पते का एक सबूत
* उम्र का एक सबूत (*यह जरूरी नहीं है। आप आवेदन फार्म में अपनी उम्र घोषित कर सकते हैं जिसे माना जायेगा।*)

आवेदन का तरीका

जब आप आवेदन-सेंटर में सभी जरूरी दस्तावेज जमा कर देंगे तब एक कर्मचारी आपकी अंगुलियों के निशान एक आँखों की फोटो ले लेगा

आवेदन करते समय सभी दस्तावेज मूल रूप समें ले जाना न भूलें साथ ही दस्तावेजों की छाया प्रतियाँ भी ले जायें। आवेदन-सेंटर का अधिकारी जाँच करके मूल दस्तावेज आपको लौटा देगा।

सभी दस्तावेज जमा करने पर आपको पावती रसीद दी जाऐगी जिसपर एक नंबर (enrolment ID) होगा तारीख व समय भी होगा।

60 से 90 दिन के अंदर आपकी दरख्वास्त पर हुई कार्यवाही का जवाब मिल जाऐगा।

आपके आवेदन की स्थिति की जाँच कैसे करें ?

वेबसाइट http://resident.uidai.net.in/check-aadhar-status पर जाकर enrolment ID का व्यवरा इस प्रकार भरें

नोट : यह केवल उदाहरण है। आपने अपनी EID का व्यवरा भरकर अपने आवेदन की जानकारी लेनी है।

यदि इंटरनेट की सुविधा न हो तो आप उस सेंटर में जाकर जानकारी पा सकते हैं जहाँ आपने दरख्वास्त लगाई है। सेंटर जाते समय पावती रसीद ले जाना न भूलें

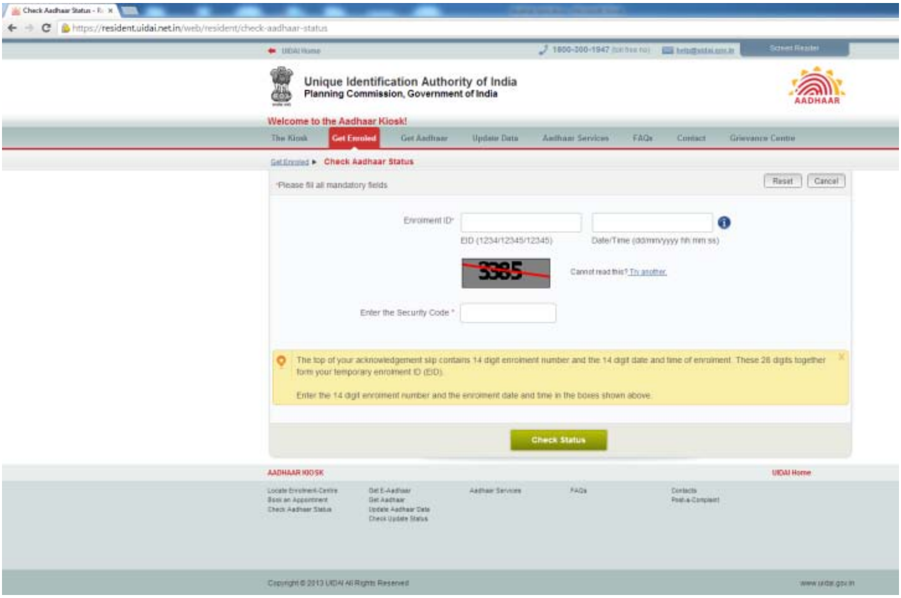

जरूरी दस्तावेज न होने पर क्या करें ?

आपके पास 2 तरीके हैं

तरीका (अन्य दस्तावेज)

आप इन दस्तावेजों में से कोई 2 दे सकते हैं।

क्षेत्र के MLA से एक पत्र जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि वह आपको जानता है और आप किए गए पते पर रहते हैं पत्र के साथ आपकी एक फोटो भी होनी चाहिए

MLA भी आपके बारे में आपके द्वारा दी गई जानकारी की तस्तीफ कर सकता है। अतः आप बस्ती के किसी ऐसे व्यक्ति को साथ ले जायें जिसे वह अच्छी तरह जानता हो। इस तरह का पत्र MLA के बजाय Councillor से भी लिया जा सकता है।

या

सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी (Gazetted officer) से भी इस तरह का पत्र लिया जा सकता है।

यदि आप किरायेदार हैं तो अपने मकान मालिक की पहचान के दस्तावेज के साथ इसी प्रकार का पत्र लें जिसमें लिखा हो कि आप किरायेदार हैं।

आपका मकान मालिक पुलिस में सीधे आवेदन करे कि आप उसके किरायेदार हो। पुलिस इसके आधार पर एक फार्म में सूचित करेगी कि आप दिए गए पते पर किरायेदार के तौर पर रह रहे हो।

पुलिस द्वारा दिया गया फार्म अपने आवेदन के साथ लगायें।

तरीका (आपके अपने परिवार का कोई सदस्य आपको प्रस्तावित करे)

आपके अपने परिवार का कोई सदस्य जैसे आपका पति, आपके पिता/माता, आपका भाई/बहन जिसके पास पहले से आधार कार्ड हो आपके आधार कार्ड बनवाने का प्रस्तावक हो सकता है।

प्रस्तावक सदस्य का नाम आवेदन पत्र में लिखा जायेगा। सिर्फ आपको दस्तावेजी सबूत लगाना होगा कि यह व्यक्ति आपके परिवार का सदस्य है।

यह दस्तावेज पैदाइश सर्टीफिकेट, राशन कार्ड या मैरिज सर्टीफिकेट हो सकता है।

यह तरीका बच्चों का आधार कार्ड बनाने में खासकर कारगर होगा।

आपका आवेदन रद्द हो गया अब क्या करें ?

दरख्वास्त रद्द होने पर आपको कारण सहित सूचना मिलनी चाहिए। अधिकतर ये कारण होते हैं:

आपके द्वारा सही सूचना न दिया जाना। मसलन, आवेदन और सबूत में आपके नाम की हिज्जे का अंतर होना। या, आपके द्वारा दिया गया पहचान का सबूत अन्य सबूतों से भिन्न हो।

तकनीकी खामी :
- मशीन आपकी अंगुलियों के निशान रजिस्टर न कर पाई हो।
- या आंखों की फोटो सही न ली गई हो।

यह खामी आम है।

सही दस्तावेज लगाकर आप दुबारा आवेदन कर सकते हैं।